रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D N.)-

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 575] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 23, 1984/अग्रहायण 2, 1906
No. 575] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 23, 1984/AGRAHAYANA 2, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1984

का०आ० 876 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/84.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 112(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/79, तारीख 26 फरवरी, 1979, (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा मैसर्स ब्रैन्टफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन छह महीने की अवधि के लिए अर्थात् 25 अगस्त, 1979 (जिसमे यह दिन भी शामिल है) तक ग्रहण किया था और एन्ड्रयूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 476 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/79, तारीख 22 अगस्त, 1979, सं० का० आ० 637(अ) 18कक/उ०वि०वि० अ०/80, तारीख 23 अगस्त, 1980, सं० का०आ० 126 (अ)/18कक/उ० वि०वि०अ०/81, तारीख 23 फरवरी, 1981, सं० का०आ० 98 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/82, तारीख 25 फरवरी, 1982 सं० का०आ० 611 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83, तारीख 23 अगस्त, 1983, सं० का०आ० 143 (अ)/18कक/उ० वि०वि०अ०/83, तारीख 24 फरवरी, 1983, सं०का०आ० 611 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83, तारीख 24 अगस्त, 1983, सं० का०आ० 772(अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83, तारीख 25 अक्तूबर, 1983, सं० का०आ० 845 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/83, तारीख 19 नवम्बर, 1983, तथा सं० का०आ० 401 (अ)/18कक/उ०वि०वि०अ०/84, तारीख 22 मई, 1984, द्वारा उक्त आदेश की अवधि तारीख 25 नवम्बर, 1984, (जिसमें यह दिन भी शामिल है) तक बढ़ा दी गई थी, और भारत सरकार की राय है

कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को तीन महीने की और अवधि के लिए एन्ड्रयूयूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र के अधीन बने रहना चाहिये ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 18क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है कि उक्त आदेश तीन महीनों की और अवधि के लिए अर्थात् तारीख 25 फरवरी, 1985 तक, (जिसमे यह दिन भी शामिल है) प्रभावी बना रहेगा।

[फा०सं० 4 (14)/78-सी० यू० एण्ड]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 23rd November, 1984

S.O. 876(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 112(E)|18AA|IDRA|79, dated the 26th February, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Brentford Electric (India) Limited, Calcutta, was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of six months upto and inclusive of 25th August, 1979 and Andrew Yule and Company Limited, Calcutta was authorised to take over the management of the said industrial undertaking ;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 476(E)|18AA|IDRA|79, dated the 22nd August, 1979, No. S.O. 637(E)|18AA|IDRA|80, dated the 23rd August, 1980, No. S.O. 126(E)|18AA|IDRA|81, dated the 23rd February, 1981, No. S.O. 98(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th February, 1982, No. S.O. 611(E)|18AA|IDRA|82, dated the 23rd August, 1982, No. S.O. 143(E)|18AA|IDRA|83, dated the 24th February, 1983, No. S.O. 611(E)|18AA|IDRA|83, dated the 24th August, 1983, No. S.O. 772(E)|18AA|IDRA|83, dated the 25th October, 1983, No. S.O. 845(E)|18AA|IDRA|83, dated the 19th November, 1983, and No. S.O. 401(E)|18AA|IDRA|84, dated the 22nd May, 1984, the duration of the said Order was extended for a further period up to and inclusive of the 25th November, 1984;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Andrew Yule and Company Limited, Calcutta, for a further period of three months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the said Act, the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of three months upto and inclusive of the 25th February, 1985.

[File No. 5(14)/78-CUS]

आदेश

का०आ० 877(अ)/18 एफ० बी०/आई०डी०आर०ए०/84:—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 124 (अ) 18एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 5 मार्च, 1979 तथा सं० का०आ० 130(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर० ए०/79, तारीख 9 मार्च, 1979 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेशों के जारी होने की तारीखों के ठीक पूर्व प्रदत्त ऐसे सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थाओं, पट्टों, स्थाई आदेशों या अन्य लिखतों, जिनका मैसर्स ब्रेन्टफोर्ड इलैक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम पर लागू हो सकते हों का प्रवर्तन 25 अगस्त, 1979 तक की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 25 अगस्त, 1979 तक, (जिसमें यह दिन भी शामिल है) की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 477(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/79, तारीख 22 अगस्त, 1979, सं० का० आ० 638(अ)/18एफ०बी/०आई०डी०आर०ए०/80, तारीख 22 अगस्त, 1980, सं० का०आ० 127(अ) 18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/81, तारीख 23 फरवरी, 1981, सं० का०आ० 99(अ)/18 एफ० बी०/आई०डी०आर० ए०/82, तारीख 25 फरवरी, 1982, सं० का०आ० 612 (अ)/18एफ० बी०/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 23 अगस्त, 1982, सं० का०आ० 144(अ)/18 एफ० बी०/आई० डी०आर०ए०/83, तारीख 24 फरवरी, 1983, सं०का० आ० 612(अ)/18 एफ० बी०/आई०डी० आर०ए०/83, तारीख 24 अक्तूबर, 1983 सं० का०आ०773 (अ)/18एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 25 अक्तूबर, 1983, सं० का०आ० 816 (अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 19 नवम्बर, 1983, तथा सं० का०आ० 402(अ)/18 एफ०बी०/आई०डी०आर०ए०/84, तारीख 22 मई, 1984 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 25 नवम्बर, 1984, (जिसमे यह दिन भी शामिल है) तक बढ़ा दी गई थी ,

और केन्द्रीय सरकार इस बारे मे संतुष्ट हो गई है कि उक्त आदेश की अवधि तीन महीनों के लिए अर्थात् 25 फरवरी, 1985, (जिसमे यह दिन भी शामिल है) और बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख को

उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त आदेशों की अवधि 25 फरवरी, 1985 तक, (जिसमें यह दिन भी शामिल है) और बढ़ाती है।

[फा०सं० 5 (14)/78—सी० यू० एस०]
ए०पी० सरवन, संयुक्त सचिव

ORDER

S.O. 877(E)|18FB|IDRA|84.—Whereas by two Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 124(E)|18FB|IDRA|79, dated the 5th March, 1979 and No. S.O. 130(E)|18FB|IDRA|79, dated the 9th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Orders), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operations of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments, in force immediately before the dates of the issue of said Orders, to which the industrial undertaking known as Messrs Brentford Electric (India) Limited, Calcutta, was a party or which might be applicable to the said industrial undertaking, should remain suspended for a period up to the 25th August, 1979 and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date should remain suspended for a period up to and inclusive of the 25th August, 1979;

And whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 477(E)|18FB|IDRA|79, dated 22nd August, 1979, No. S.O. 638(E)|18FB|IDRA|80, dated 23rd August, 1980, No. S.O. 127(E)|18FB|IDRA|81, dated the 23rd February, 1981, No. S.O. 99(E)|18FB|IDRA|82, dated the 25th February, 1982, No. S.O. 612(E)|18FB|IDRA|82, dated the 23rd August, 1982, No. S.O. 846(E)|18FB|IDRA|83, dated the 19th February, 1983, No. S.O. 612(E)|18FB|IDRA|83, dated the 24th August, 1983, No. S.O. 773(E)|18FB|IDRA|83, dated the 25th October, 1983, No. S.O. 846(E)|18FB|IDRA|83, dated the 19th November, 1983, and No. S.O. 402(E)|18FB|IDRA|84, dated the 22nd May, 1984, the duration of the said Order was extended for a further period upto and inclusive of the 25th November, 1984;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Orders should be extended for a further period of three months up to and inclusive of the 25th February, 1985:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Orders up to and inclusive of the 25th February, 1985.

[F. No. 5(14)|78-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984